ओ0पी0सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः 07/18

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः फरवरी 21,2018

विषयः– आपराधिक मामलों के निस्तारण में विलम्ब के करणों का विश्लेषण एवं उनके निराकरण के उपाय के सम्बन्ध में मानिटरिंग सेल में समीक्षा के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

उ0प्र0 शासन के आदेश सं0–2005/सात–अ0न्या0–5/76न्याय(अधीनस्थ न्यायालय)अनुभाग दिनांकित 16.06.1976 द्वारा फौजदारी मामलों के निस्तारण में हो रहे विलम्ब के करणों का विश्लेषण करने के लिए मानिटरिंग सेल की व्यवस्था की गयी है।

2. शासनादेश सं0–872/सात–न्याय–2/2001–211जी/9न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय) दिनांकित 23.06.2001 एवं संख्या–जी0आई0–13/छः–पु0–9–2004–31(13)1/2003 गृह पुलिस अनुभाग–9 दिनांक 09.06.2004 द्वारा जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, डी0जी0सी0(अपराध) एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को सम्मिलित करते हुए जिला मानिटरिंग सेल की मीटिंग नियमित रूप से करने का निर्देश निर्गत किया गया है, जिससे मुकदमों के निस्तारण एवं शान्ति व्यवस्था में समन्वय स्थापित किया जा सके।

3. मानिटरिंग सेल की गोष्ठी में सत्र न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों की स्थिति, गवाहों की तलबी, उपस्थिति, परीक्षण एवं अपरीक्षित गवाहों की स्थिति तथा सत्र न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन 5–5 सर्वाधिक पुराने मुकदमों के विचारण पर चर्चा किया जाना अपेक्षित है।

4. उक्त के अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

(i) **रिमाण्ड**– प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण पर संक्षिप्त किन्तु तथ्यात्मक नोट बनाया जाये।

(ii) **कुर्की (चल/अचल सम्पत्ति)**–विलम्बित कुर्की के लम्बित मामलों की दिनांक सहित थानावार पूर्ण विवरण सहित सूची तैयार करायी जाये और उनके निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की जाये। सूची दिनांक एवं पूर्ण विवरण सहित सूची में समाहित किया जाये।

(iii) **जमानत**–फर्जी जमानत के मामलें, जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है। प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार के सुझाव सहित विवरण प्रस्तुत किया जाये।

(iv) **पुलिस कस्टडी रिमांड**–मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अमरपाल बनाम उ0प्र0 राज्य 1995 Cri.L J 52 में पारित निर्णय के अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड पर विचार अभियोजन एवं न्यायालय के मध्य का प्रकरण है। इसमें अभियुक्त पक्ष को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस कस्टड़ी रिमांड के मामलों की सूची बनाकर उसे विचार–विमर्श में रखा जाये, जिससे रिमांड सम्बन्धी मामलें विधि के अनुसार और समय से निस्तारित हो।

पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से पूछतांछ की आवश्यकता पर आधारित पुलिस कस्टड़ी रिमाण्ड का आवेदन अस्वीकार किये जाने की सूची बनाकर विचार विमर्श हेतु मानीटरिंग कमेटी की बैठक में रखा जाना चाहिए। Sheoraj Singh @ Chuttan Vs State of UP and Others 2009 (2)ACR 1762 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दी गई व्यवस्थानुसार अपराध का हेतुक (Motive) तैयारी (Preparation), कारित करना (Commission), अपराध का परिणाम (Aftermath of the Crime) और अपराध में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के बारे में पता लगाना तथा तात्विक तथ्य प्रकट होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त किये जाने की आवश्यकता पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से पूछतांछ के अनेक पहलू होते हैं, जो विवेचना का अहम हिस्सा होता है।

(v) धारा 299 द0प्र0सं0 की कार्यवाही (मफरूर) की सूची पूर्ण विवरण सहित विशेष रूप से विलम्बित कार्यवाही के मामलों का विवरण अंकित किया जाये।

(vi) सुरक्षा व्यवस्था/कानून व्यवस्था (कोर्ट परिसर सम्बन्धी) घटनाओं पर घटनावार तथ्यात्मक नोट तैयार करा लिया जाये।

(vii) **अन्य प्रकरण**– मा0 न्यायालय/वकीलों से समन्वय सम्बन्धी ऐसे प्रकरण, जिनका निराकरण जिला सत्र न्यायाधीश के स्तर से हो सकता है अथवा उनका हस्तक्षेप आवश्यक है, इन पर संक्षिप्त तथ्यात्मक आधार सहित नोट लेकर प्रतिभाग किया जाये।

(viii) पीड़ित को क्षतिपूर्ति (Victim Compencation)–द0प्र0सं0 की धारा 357/357ए के अन्तर्गत प्रत्येक आपराधिक मुकदमें में पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने विषयक आदेश को निर्णय का अभिन्न अंग बनाया जाये। क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने अथवा न किये जाने का सकारण/मुखरित आदेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं0–99/2015 मनोहर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दी गयी व्यवस्था पर भी चर्चा की जाये जिससे पीड़ित के हित की उपेक्षा न हो और पीड़ित का हित संरक्षित हो सके।

(ix) अभियोजन/पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ऐसे आवेदन/रिपोर्टों, जिन पर मा0 न्यायालयों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता और आदेश पारित नहीं किया जाता है, की सूची तैयार कर मानीटरिंग कमेठी की बैठक में रखी जाये। ऐसे किसी भी आवेदन/रिपोर्ट पर औपचारिक आदेश पारित होना चाहिये। मौखिक तौर पर वापस नहीं किया जाना चाहिये।

5. मानीटरिंग सेल की मीटिंग के एजेण्डे हेतु समस्त थाना प्रभारी/राजपत्रित पुलिस अधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि वह यह व्यवस्था कर लें कि यदि उनके थाने से सम्बन्धित कोई ऐसा प्रकरण है, जिसका निराकरण सत्र न्यायाधीश/जिला अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के स्तर पर होना है तो उसका संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पास भेज दें।

6. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि वांछित उपर्युक्त सूचना प्रत्येक माह की पहली तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय में मंगवा ली जाये। इन सूचनाओं को थानावार सुस्पष्ट प्रारूपों में तैयार करवा कर माह की 5वीं तारीख तक आप स्वयं परीक्षण कर लें ताकि इसके आधार पर मानिटरिंग सेल गोष्ठी में सार्थक विचार–विमर्श हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर इन गोष्ठियों में आप स्वयं प्रतिभाग करे तथा इनमें महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार–विमर्श होना चाहिये, जिससे शांति व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण पर अच्छा प्रभाव पडे एवं सामंजस्य बना रहे।

भवदीय,

(ओ0पी0सिंह) 31/2/18

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– समस्त महानिदेशक, उ0प्र0।
2– समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।